

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 566 / सो.आ.नि.-117 / 2014

दिनांक: 09 जनवरी, 2015

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बलिया, गाजीपुर, कासगंज, चंदौली को छोड़कर)

उत्तर प्रदेश।

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

विषय: प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014-15 में की गई सोशल आडिट की प्रगति।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-मेल के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह तक सोशल आडिट की अद्यतन स्थिति भारत सरकार को सूचित की जाए जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में (दिसम्बर, 2014 तक) सम्पन्न हुए सोशल आडिट की सूचना निम्न प्रारूप पर इस निदेशालय द्वारा तैयार कर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रारूप पर सूचना **दिनांक 14 जनवरी, 2015 तक** प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जा सके :-

Social Audit of MGNREGA

- (i) ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें सोशल आडिट सम्पन्न हो चुका है:
- (ii) सोशल आडिट में इंगित कमियों की सं०:
- (iii) इंगित कमियों में से बैठक के दौरान निस्तारित मामलों की सं०:
- (iv) निस्तारित मामलों की सं० (जो बैठक के दौरान न निस्तारित हो पाए हों):
- (v) निस्तारित न हो पाने वाले मामलों की सं०:
- (vi) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर दर्ज एफ०आई०आर० की सं०:
- (vii) दुरुपयोग की गई कुल धनराशि (रुपये में):
- (viii) वसूल की गई कुल धनराशि (रुपये में):
- (ix) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों की सं० जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई:

Social Audit of Indira Awas Yojna (IAY)

- (i) ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें इन्दिरा आवास का सोशल आडिट सम्पन्न हो चुका है:
- (ii) सोशल आडिट में इंगित कमियों की सं०:
- (iii) इंगित कमियों में से बैठक के दौरान निस्तारित मामलों की सं०:
- (iv) निस्तारित मामलों की सं० (जो बैठक के दौरान न निस्तारित हो पाए हों):
- (v) निस्तारित न हो पाने वाले मामलों की सं०:
- (vi) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर दर्ज एफ०आई०आर० की सं०:
- (vii) दुरुपयोग की गई कुल धनराशि (रुपये में):
- (viii) वसूल की गई कुल धनराशि (रुपये में):
- (ix) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों की सं० जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई:

भवदीय,




(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांक: 566(1)/सो.आ.नि.-117/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :-

समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की भारत सरकार द्वारा वांछित उक्त बिन्दुओं पर सूचनाएं दिनांक 14 जनवरी, 2015 तक प्रत्येक दशा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(शंकर सिंह)
निदेशक।